न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 195/2024

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

प्रार्थीगणः– 1. सोबदार पुत्र हाजी अहदी 2.भागो पत्नि हाजी अहदी
3. विदा पुत्र सुजाणा, जाति मुसलमान, निवासी भभूते की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगणः– 1.शंकराराम पुत्र पारूराम, जाति मेगवाल, निवासी भभूते की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
2.आदम पुत्र सला 3.सोबदार पुत्र सला, जाति मुसलमान
निवासी भभूते की ढाणी, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
4.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– श्री जगदीश पोटलिया
विप्रार्थीगण :– श्री हरीश चौधरी

निर्णय

दिनांक :– 06.09.2024

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील चौहटन के मौजा भभूते की ढाणी (रमजान की गफन) में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 638/243, 549/243, 548/243 तथा मौजा भीमवास में खसरा सं. 650/365, 781/365, 649/365 आये हुए है। मौजा भभूते की ढाणी के वादग्रस्त आराजी मूल खसरा सं. 243 तथा मौजा भीमवास के वादग्रस्त आराजी मूल खसरा सं. 365 के भाग है। मौजा भभूते की ढाणी के खेत मूल खसरा सं. 243 प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज थी एवं भीमवास में स्थित मूल खसरा सं. 365 प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 व 3 के खातेदारी में दर्ज थी। बाद में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की आपसी सहमति से बंटवाड़े अनुसार राजस्व कर्मचारियों ने अलग अलग तरमीम कर दी। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने तरमीम करते वक्त मौके पर खसरे गलत दर्ज कर दिये। भभूते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

ढाणी के खसरा सं. 638/243 व 549/243 की जगह मौके पर भूलवश खसरा सं. 548/243 व भीमवास के खसरा सं. 650/365 व 781/365 की जगह भूलवश खसरा सं. 649/365 अंकन कर दिया। मौके पर कब्जा सही है लेकिन खसरों का गलत इन्द्राज है जिसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाना चाहते है, इस हेतु आवेदन मय मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपरोक्त दुरस्ती की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। विप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई,

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी । बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा भभूते की ढाणी (रमजान की गफन) में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 638/243, 549/243, 548/243 तथा मौजा भीमवास में खसरा सं. 650/365, 781/365, 649/365 की तरमीम तहसीलदार चौहटन की ओर से पेश रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शा प्रपत्र ब अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार की रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

फर्द मौका — पृष्ठ 01

राजस्व आवेदन 195/2024 ग्राम :- [illegible] डीडाली एवं भीमवास

सोवदार वगैरह बनाम [illegible] वगैरह

आज दिनांक 19/07/24 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/रा.का./1454 दि. 18.07.24 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राज. आवेदन 195/2024 में दिये गये आदेश क्रमांक/राजस्व/रीडर/2024/3144 दि. 10.07.24 के अनुसार तरमीम तकसीम के लिये पटवारी हल्का रमजान की गफन के साथ ग्राम [illegible] डीडाली के खसरा 638/243, 549/243, 548/243 तथा ग्राम भीमवास के खसरा 650/365, 781/365, 649/365 मे मौके पर पहुंचा। काश्त सभी खातेदार के रिकार्ड मय मौका एवं मौके की जांच की तो पाया गया कि इनके राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रपत्र (क्र. 1,2) के अनुसार है जबकि मौके अनुसार इनका कब्जा काश्त प्रपत्र क्र. 1,2 के दर्शाये अनुसार है प्रपत्र क्र. में सही तरमीम गलत है सही तरमीम प्रपत्र क्र. 1,2 अनुसार की जानी है उक्त तरमीम अगर प्रपत्र क्र. 1,2 अनुसार की जाती है तो सभी खातेदार काश्तकार खुश है व रजामंद है। सभी काश्तकारो के हस्ताक्षर मय मौका फर्द तैयार कर प्रपत्र [illegible] हस्ताक्षर करवाकर तथा [illegible] तहसील [illegible] सभी [illegible] एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाकर [illegible] अनुसार (प्रपत्र क्र-1,2) तरमीम नहीं किया जाता उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार चौहटन

पटवारी. रमजान गफन (ना. [illegible])

साखी

सोवदार

प्र ००

पा.मा. रमजान की गफन

ग्राम अमृते की ढाणी

[illegible] ६०७/१००

प्रपत्र (क)

मौका कब्जा अनुसार

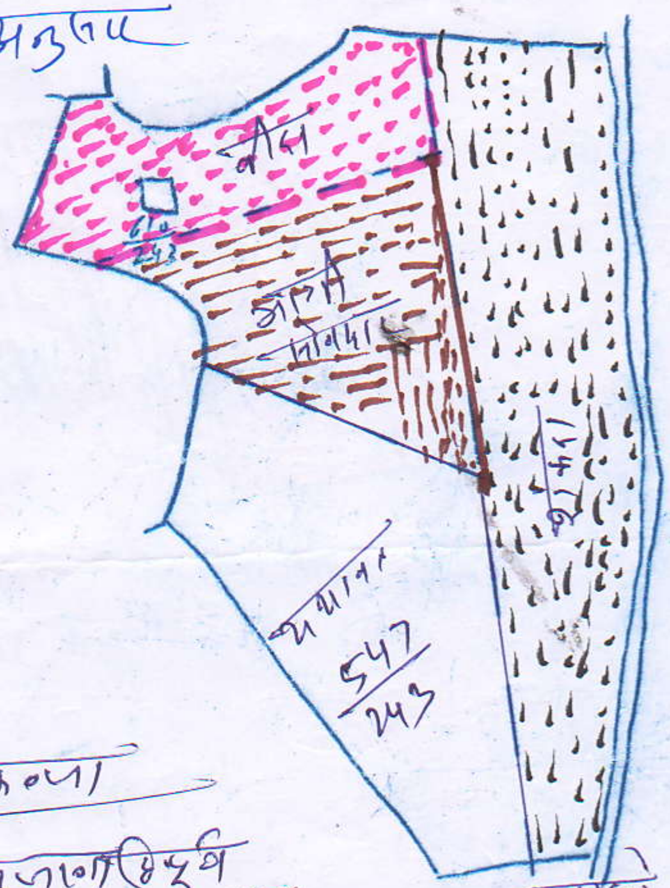

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रंग अनुसार कब्जा

(—) गुलाबी	बीजा पुत्र सुजाणा [illegible]	638/243	= 4.2897 बीघा	0.82
(—) कत्थई	भागी पत्नी [illegible] सोवदा [illegible]	[illegible]	= 4.2249 बीघा	0.80
(—) काला	शंकरा पुत्र [illegible] जाति [illegible]	548/243	= 8.5793 बीघा	1.63

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार चौहटन

सोवदा

भागी

घनश्याम मीना
पटवारी (भू.अ.) रमजान की गफन
तहसील–चौहटन,(बाड़मेर)

पृ०० 3

नक्शा ग्राम भीमथाल

प.मा. रमजान की गफन

ख०न० — 20/1607

नक्शा

मौका अनुसार नक्शा

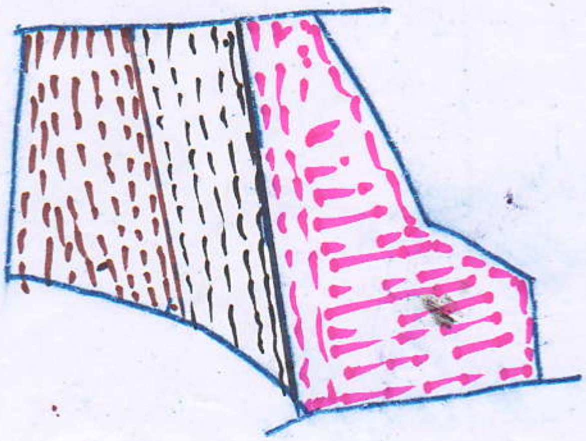

Ex-cout

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

रेग अनुसार नक्शा

		खाता	क्षेत्र हे०	किस्म	लगान
(—)	आदम पुत्र सला 1/2, सुल्तानी सोवदार पुत्र सला 1/2	649/365	5.1800	बारानी	0.98
—	भागी पत्नी हाजी खदी 1/2, कतवई सोवदार पुत्र हाजी खदी 1/2	781/365	2.5900	बारानी	0.49
—	बीरा पुत्र ..., सला कोद पुत्र ... मुराद	650/365	2.5900	बारानी	0.49

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

भागी

सोवदार

तहसीलदार चौहटन

घनश्याम मीना
पटवारी (भू.अ.) रमजान की गफन
तहसील–चौहटन,(बाड़मेर)

शकुर हाजी उदहखी

मोहम्मद हाजी अब्दुल रहमान